सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-15 **शनिवार, दिनांक-13 मार्च, 2021 ई० ।**

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.15 बजे अपराह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा शराबबंदी से संबंधित मामले को उठाया गया ।

आसन द्वारा कहा गया कि इस विषय पर कार्य स्थगन भी प्राप्त हुआ है इसलिए सही समय पर इसे उठाया जाय ।

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 17 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-1766 स्थगित ।

(v) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-1786 स्थगित ।

(vi) 33 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(vii) 94 तारांकित प्रश्न अनागत ।

इस दौरान अल्पसूचित प्रश्न संख्या-44 के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये ।

प्रश्नकाल समाप्ति के उपरांत विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गए ।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य श्रीमती रेखा देवी, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री विजय कुमार एवं श्री मुकेश कुमार यादव से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी ।

आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्रीमती रेखा देवी द्वारा अपने कार्य स्थगन की सूचना को सदन में पढ़ा गया ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री संजय सरावगी

कार्य स्थगन की सूचना अमान्य किए जाने के उपरांत विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें एवं शून्यकाल तथा ध्यानाकर्षण के तहत सूचीबद्ध विषय को होने दें ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.46 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[4] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-09 (स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया ।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव एवं इस पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री संजीव चौरसिया

(ii) डा० संजीव कुमार

(iii) श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल

इस दौरान पक्ष एवं विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरोप-प्रत्यारोप किया जाने लगा ।

आसन द्वारा पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने अपने स्थान पर बैठने का बार-बार अनुरोध किया गया ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 03.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरांत

(03.30 बजे अपराह्न से 05.05 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही आसन द्वारा पक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि सदन की मर्यादा का ख्याल रखें, यह सदन विमर्श का सदन है । अध्यक्ष के नाते सुव्यवस्थित सदन संचालन मेरी जवाबदेही है इसलिए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि नियम के हिसाब से ही सदन में आचरण करें । वेल में आना एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है । सभी दलीय नेता सदन की गरीमा बढ़ाने के लिए अपने दल के सदस्यों को नियमावली से अवगत करा दें ताकि विवंश होकर ऐसे माननीय सदस्यों पर नियमावली के अनुसार हमें कठोर कदम उठाना न पड़े । सदन नियमावली से चलेगा, सदन मर्यादा के साथ चलेगा और सदन की मर्यादा का सभी मिलकर नियमावली के अनुसार पालन करेंगे । आसन को पक्ष या विपक्ष किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं कर सकता है । साथ ही उन्होंने सभी दलीय नेता को सदन की मर्यादा के संबंध में अपनी बातों को रखने का आग्रह किया ।

तत्पश्चात् माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा भी आसन की बातों से सहमति जतायी गई किन्तु यह भी कहा गया कि माननीय मंत्रियों द्वारा आसन को निर्देश दिया जाय यह लोकतांत्रिक परम्परा नहीं है । साथ ही सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग देने की बात कही गई ।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि सरकार की न कभी मंशा रही है, ना अभी है और ना भविष्य में मंशा ऐसी होगी कि वह आसन को निदेश दे सके । साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि आसन पूरे सदन की मर्यादा का प्रतीक है, आसन सर्वोपरि है और सरकार हर तरीके से आसन की मर्यादा बनी रहे और ऊँची हो इसकी हम कामना करते हैं । उनके द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया कि स्वाभाविक रूप से सदन की कार्यवाही अच्छे ढंग से चले इसकी हम कामना करते हैं ।

तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम, श्री अख्तरूल ईमान, श्री जीतनराम मांझी, श्रीमती स्वर्णा सिंह, डा० सत्येन्द्र यादव, श्री सूर्यकांत पासवान और श्री राज कुमार सिंह द्वारा इस संदर्भ में अपना विचार रखा गया ।

वाद-विवाद पुन: प्रारंभ हुआ

(iv) श्री महा नंद सिंह
(v) श्री अख्तरूल ईमान
(vi) डा० सत्येन्द्र यादव
(vii) श्री सूर्यकांत पासवान
(viii) श्री अनिल कुमार
(ix) श्री मिश्री लाल यादव
(x) श्री राज कुमार सिंह

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

तदुपरान्त माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

[5] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

1. माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्त्ती) (संशोधन) विनियमावली, 2014; बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011; बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016; बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार समूह ''घ'' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2012; बिहार समूह ''घ'' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार समूह ''घ'' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2017; राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2017; स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह ''घ'' संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2016; स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह ''घ'' संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2019 एवं बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा गया ।
2. माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, श्री सुमित कुमार सिंह द्वारा बिहार राजकीय अभियंत्रण/ पोलिटेकनिक निबंधक सेवा नियमावली, 2016; बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020; विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2015; अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली, 2015; अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक कर्मशाला संवर्ग नियमावली, 2015; अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016; अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक कर्मशाला संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016; विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 एवं बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा गया ।
3. माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, श्री जयंत राज द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014; ग्रामीण कार्य विभाग लेखा लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014; ग्रामीण कार्य विभाग आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2014; ग्रामीण कार्य विभाग क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2019 एवं बिहार ग्रामीण कार्य विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा गया ।

[6] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 46 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक सोमवार, दिनांक-15 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-13.03.2021

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।